

संख्या- 27/12/2010-एस.आर.एस.  
भारत सरकार  
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग  
एस.आर. अनुभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन,  
खान मार्केट, नई दिल्ली ।  
दिनांक 5/8/2010

सेवा में,

1174/2010/SRS  
6/8/10  
मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश सरकार,  
लखनऊ ।

- 5 AUG 2010

1175/2010/SRS  
6/8  
मुख्य सचिव,  
उत्तरांचल सरकार,  
देहरादून ।

विषय: चिकित्सकीय/वास्तविक व्यथा से आच्छादित प्रकरणों पर राज्य परामर्शी समिति की दिनांक 20 अप्रैल, 2010 को आयोजित 78 वीं बैठक में विचार

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य परामर्शी समिति की दिनांक 20 अप्रैल, 2010 को आयोजित 78 वीं बैठक में विचारोपरांत समिति ने संलग्नक में उल्लिखित कार्मिकों के अभ्यावेदनों को चिकित्सकीय/वास्तविक व्यथा दिशा-निदेशों से आच्छादित न होने के कारण पर अस्वीकृत करने की संस्तुति की है। विस्तृत ब्यौरा संलग्नक पर है।

समिति द्वारा इन मामलों में जो संस्तुतियों की गईं उन्हें भारत सरकार द्वारा वास्तविक/चिकित्सकीय व्यथा के अन्तर्गत मान लिया गया है। संलग्नक में उल्लिखित कार्मिकों को उत्तराखण्ड राज्य में बनाये रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया संबंधित अधिकारियों को इन निर्णयों से अवगत करा दिया जाए।

भवदीय


2/8/10

(सारंगधर नायक)  
अवर सचिव, भारत सरकार

1176/SRS/10  
6/8  
1176/SRS/10  
6/8  
प्रति:-

1. श्री आर.एम. श्रीवास्तव, प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, लखनऊ ।
2. श्री सुभाष कुमार, प्रधान सचिव, उत्तराखण्ड पुनर्गठन समन्वय विभाग देहरादून।

संलग्नक 3 कार्मिकों की सूची



**चिकित्सकीय व्यथा के आधार पर राज्य परामर्शीय समिति की 78वीं बैठक दिनांक  
20 अप्रैल, 2010 की बैठक में दिनांक 22 जनवरी, 2010 की बैठक के पुर्नविचार के उपरान्त अस्वीकृत प्रत्यावेदन  
माध्यमिक शिक्षा विभाग**

क्रमांक	कार्मिकों का नाम/ पदनाम/तैनाती	प्रत्यावेदन में अंकित बीमारी	राज्य चिकित्सा परिषद की संस्तुति	समिति का निर्णय
1.	श्री रमेश कुमार सिंह, सहायक अध्यापक- अंग्रेजी, राजकीय इण्टर कालेज, देवरी, उधमसिंह नगर	वृद्ध माता जी अधता एवं मानसिक	श्री रमेश कुमार सिंह की माता श्रीमती कमला देवी की बीमारी का राज्य चिकित्सा परिषद, लखनऊ द्वारा परीक्षणोपरान्त उन्हें एकजायटी डिस्आर्डर विद डिकिस्ट स्लीप की रोगी बताया गया है।	राज्य चिकित्सा परिषद की रिपोर्ट में श्री रमेश कुमार सिंह की माता श्रीमती कमला देवी को बैठक में उपस्थित चिकित्सा विशेषज्ञ के परामर्शानुसार उन्हें एकजायटी डिस्आर्डर विद डिकिस्ट स्लीप रोग से ग्रस्त पाया गया। प्रश्नगत बीमारी उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 04 फरवरी, 2009 संपादित दिनांक 06 मार्च, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति इनके प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये श्री रमेश कुमार सिंह को उत्तराखण्ड राज्य में बनाये रखे जाने की संस्तुति की गई।

**चिकित्सकीय व्यथा के आधार पर राज्य परामर्शीय समिति की 78वीं बैठक दिनांक  
20 अप्रैल, 2010 की बैठक में अस्वीकृत प्रत्यावेदन**

माध्यमिक शिक्षा विभाग

क्रमांक	कार्मिकों का नाम/ पदनाम/तैनाती	प्रत्यावेदन में अंकित बीमारी	राज्य चिकित्सा परिषद की संस्तुति	समिति का निर्णय
1.	श्री अरुण कुमार तिवारी, प्रवक्ता, राजकीय इण्टर कालेज, किशनपुर, देहरादून	स्वयं विकलांगता से ग्रस्त।	श्री अरुण कुमार तिवारी की बीमारी का राज्य चिकित्सा परिषद, लखनऊ द्वारा परीक्षणोपरान्त उन्हें फेरीसिस बोथ फोर आर्म विद पुअर ग्रिप डिफरमिटी एबाउट 55 प्रतिशत बोथ हैण्ड्स से ग्रस्त पाया गया।	राज्य चिकित्सा परिषद की रिपोर्ट में श्री अरुण कुमार तिवारी को फेरीसिस बोथ फोर आर्म विद पुअर ग्रिप डिफरमिटी एबाउट 55 प्रतिशत बोथ हैण्ड्स (विकलांगता) से ग्रस्त पाया गया। प्रश्नगत बीमारी उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 04 फरवरी, 2009 संपादित दिनांक 06 मार्च, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये उत्तराखण्ड राज्य में बनाये रखे जाने की संस्तुति की गई।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांक	कार्मिकों का नाम/ पदनाम/तैनाती	प्रत्यावेदन में अंकित बीमारी	राज्य चिकित्सा परिषद की संस्तुति	राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुति
1.	श्री शिव शंकर, एमपी0डब्ल्यू0, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डोईवाला, देहरादून।	स्वयं शारीरिक रूप से विकलांग।	श्री शिव शंकर की बीमारी का राज्य चिकित्सा परिषद, लखनऊ द्वारा परीक्षणोपरान्त उन्हें सर्वाईकल स्पान्दलोलिसिस विद प्राईमेरी कैनाल स्टेनोसिस एट सी3,सी4,सी5,सी6 डिफ्यूस डिस्क बलज विद मोडरेट टू सीवियर सैकेण्डरी का रोगी बताया गया तथा इन्हें उक्त के नियमित विशेषज्ञ जॉच एवं उपचार की आवश्यकता बताई गई है।	राज्य चिकित्सा परिषद की रिपोर्ट में श्री शिव शंकर सर्वाईकल स्पान्दलोलिसिस विद प्राईमेरी कैनाल स्टेनोसिस एट सी3,सी4,सी5,सी6 विद डिफ्यूस डिस्क बलज विद मोडरेट टू सीवियर सैकेण्डरी कैनाल स्टेनोसिस (शारीरिक रूप से विकलांगता) से ग्रस्त पाया गया। प्रश्नगत बीमारी उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 04 फरवरी, 2009 संपादित दिनांक 06 मार्च, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये उत्तराखण्ड राज्य में बनाये रखे जाने की संस्तुति की गई।

2173